मध्यप्रदेश
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
चतुर्थ बैठक
दिनांक- 13.08.2024
प्रस्तावित कार्यसूची

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

मध्यप्रदेश

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

चतुर्थ बैठक

प्रस्तावित कार्यसूची- अनुक्रम

एजेण्डा	विवरण	पृष्ठ
एजेण्डा 4.1	तृतीय बैठक दिनांक 12.07.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	1
एजेण्डा 4.2	तृतीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन।	1
एजेण्डा 4.3	प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण।	6
एजेण्डा 4.4	VIP रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव के संबंध में तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा।	9
एजेण्डा 4.5	प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरण एवं प्राप्त शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।	10
एजेण्डा 4.6	सिरपुर वेटलैण्ड (रामसर साइट), इन्दौर के संरक्षण हेतु पंचवर्षीय एकीकृत प्रबंधन योजना का राज्य शासन के माध्यम से MoEFCC, भारत सरकार को प्रेषित करने का अनुमोदन।	11
एजेण्डा 4.7	नगर पालिका सिवनी स्थित दल सागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूज़िकल फाउन्टेन स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा।	12
एजेण्डा 4.8	सिरपुर वेटलैण्ड रामसर साइट में तितली पार्क के विकास के संबंध में चर्चा।	13
एजेण्डा 4.9	सिरपुर वेटलैण्ड रामसर साइट, इन्दौर की अधिसूचना हेतु संक्षिप्त प्रतिवेदन का अनुमोदन।	14
एजेण्डा 4.10	वेटलैण्ड नियम '4' के पालन हेतु भारत सरकार, MoEFCC द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम से अवगत करना।	15
एजेण्डा 4.11	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।	16

एजेण्डा 4.1 तृतीय बैठक दि. 12.07.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

- राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 12.07.2023 को संपन्न हुई। (कार्यवाही विवरण **संलग्न-1**)
- बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों की टीप प्राप्त हुई। अत: पृथक एजेण्डा क्रमांक 4.4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.2 तृतीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन

एजेण्डा	प्राप्त निर्देश	कार्यवाही
3.1	**द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	• कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं
3.2	**द्वितीय बैठक के निर्देशों का पालन** प्रतिवेदन सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	• कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं
3.3	**महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	• कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं
3.4	**प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरण एवं प्राप्त शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए एवं शिकायतों से सम्बंधित विभागों को बैठक मे आमंत्रित किये जाने संबंधी निर्देश दिये।	• शिकायतों से सम्बंधित विभागों के प्रमुख अथवा प्रतिनिधि को आज संपन्न हो रही चतुर्थ बैठक मे आमंत्रित किया गया है ।
3.5	**जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के गठन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अवगत करना।** समिति का गठन एवं क्रियाशील करने हेतु यथोचित प्रयास के निर्देश।	• जिला समितियों का शेष जिलों मे गठन व उन्हें क्रियाशील करने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किये गये। प्रदेश के 53 जिलों गठन आदेश जारी किये जा चुके है। (सूची **संलग्न-2**) • प्राधिकरण स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

3.6	**NPCA कार्यक्रम अंतर्गत वेटलैण्ड संरक्षण एवं प्रबंधन की स्वीकृत योजनाओं (धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स, धार एवं गिरवर तालाब, शाजापुर) के संबध में अवगत करना।** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	• कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं
3.7	**तीन नवीन रामसर साइट्स के संबंध में अवगत करना।** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	• कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं
3.8	**प्रदेश के रामसर साइट्स एवं महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को अधिसूचित करने के संबंध में।** सम्माननीय सदस्य अद्यतन स्थिति से अवगत हुए तथा चिह्नित वेटलैण्ड्स को अधिसूचित करने संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।	• सिरपुर वेटलैण्ड इंदौर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुका, जिसे प्राधिकरण के समक्ष **एजेंडा-4.8** पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। • अन्य 09 वेटलैण्ड्स को अधिसूचित करने संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय किया जा रहा है। • वेटलैण्ड्स के मानचित्र जिसमे Zone of Infulence चिन्हित करने संबंधी कार्य मे MPSeDC का सहयोग लिया गया है। • संक्षित प्रतिवेदन संबंधित विभागों के माध्यम से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्राप्त होना अपेक्षित। वेटलैंड्स वार प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति **संलग्न-3** प्रस्तुत है।
3.9	**खातियार गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत वेटलैण्ड को नवीन रामसर साइट Designate करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन** सम्माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**1.** संक्षिप्त प्रस्ताव MoEFCC को प्रेषित। **2.** रामसर साइट designate करने संबंधी विस्तृत वैज्ञानिक दस्तावेज तैयार करने हेतु जानकारी संकलित की जा रही है।

3.10	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय** **i. भोज वेटलैण्ड में मोटर चलित नावों / क्रूजों आदि को पर्यटन की दृष्टि से विनियमित गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित करने के सम्बंध में चर्चा।** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए एवं वेटलैण्ड नियम 2017, वेटलैण्ड मार्गदर्शिका 2020 तथा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.03.2022 में उल्लेखित प्रावधानों के पालन करने की अनुशंसा की गयी।	• इस संबंध में माननीय एनजीटी के प्रकरण क्र. 82/2022 सुभाष सी. पाण्डे विरूद्ध राज्य शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील क्र. 664/2024 में मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम विरूद्ध सुभाष सी. पाण्डेय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के दृष्टिगत राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण स्तर से वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **(**आदेशों की प्रति **संलग्न-4 है)**
	ii. म. प्र. सडक विकास प्राधिकरण द्वारा भोपाल की VIP रोड की विस्तारीकरण योजना के सम्बंध मे चर्चा। प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश सडक विकास निगम से प्राप्त पत्र एवं प्रस्ताव पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।	• राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के निर्णय अनुसार प्रकरण पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया। • राज्य शासन, पर्यावरण विभाग, पत्र दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार, MoEF&CC को प्रेषित किया गया है। • MoEF&CC के ईमेल दिनांक 01.05.24 के माध्यम से सूचित कया गया कि राज्य शासन से प्राप्त प्रकरण में वेटलैण्ड नियम 2017 की मार्गदर्शिका की कंडिका 47 में प्रदत्त जानकारी संलग्न नहीं है। • मध्यप्रदेश सडक विकास निगम से प्राप्त जानकारी को राज्य शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.06.2024 से पुन: भारत सरकार, MoEF&CC को प्रेषित किया गया। **(संलग्न-5)**

» **पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.3 प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यो का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के 12.7.2023 के उपरांत सम्पन्न प्रमुख कार्यों का विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है-

1. MoEF&CC के संयुक्त तत्वाधान में "Strategic Planning for two step IMP preparation process" विषय पर 13-15 जुलाई 2023 के मध्य राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में देश के लगभग सभी राज्यों के वेटलैण्ड प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, Knowledge Partners एवं MoEFCC, GoI के अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। कार्यशाला के दूसरे दिवस सभी प्रतिभागियों को वेटलैण्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर 'जलतरंग' का अवलोकन और इसके विकास के अनुभवों से अवगत किया गया।

2. भारत सरकार के स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी चारों रामसर साइट्स पर क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से दिनांक 14.10.2023 को Cleanliness Drive एवं अन्य जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। सभी रामसर साइट्स की क्रियान्वयन एजेन्सियों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया।

3. भारत सरकार के परामर्श पर रामसर सचिवालय के वेटलैण्ड सिटी अधिमान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के दो शहर क्रमश: इन्दौर एवं भोपाल शहर को वेटलैण्ड सिटी के रूप में अधिमान्यता दिलाने हेतु भारत सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रस्ताव रामसर सचिवालय, स्विजरलैण्ड को प्रस्तुत किया गया। मध्यप्रदेश इस कार्य को करने में देश का अग्रणी राज्य है। इस अधिमान्यता से दोनों शहरों की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दर्शित होगी तथा शहरों के विकास एवं पर्यटन को बढावा मिलेगा। साथ ही तालाबों के संरक्षण एवं शहरो के पर्यावरणीय विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता की संभावनाएं बढ़ेंगी।

4. विश्व वेटलैण्ड्स दिवस कार्यक्रम की श्रंखला में भारत सरकार द्वारा Save the Wetland Campaign के अंतर्गत राज्य शासन के लिए निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए गए-

क्र.	लक्ष्य	निर्धारित	प्राप्त
1.	Ground Truthing	3620	3637
2.	Health Cards	390	135
3.	Ramsar Wetlands with IMP/FMP	04	01
4.	Carbon Assessment Studies	04	02
5.	Wetland Mitra	2400	2500
6.	Wetland Pledge	-	32500
7.	Multi Stakeholder partnership	06	15

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा।

5. तवा जलाशय, नर्मदापुरम् प्रस्तावित रामसर साइट का का स्थल भ्रमण कर वैज्ञानिक दस्तावेज (RSIS) को रामसर कन्वेंशन के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया गया। MoEFCC, भारत सरकार द्वारा परीक्षण एवं आंशिक संशोधन किया गया तथा प्रस्ताव रामसर सचिवालय में स्वीकृति की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

6. प्राधिकरण की तकनीकी एवं शिकायत समितियों की बैठक दि. 05.07.2024 संपन्न हुई।

7. **विश्व वेटलैण्ड्स दिवस- 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम**

   a. मुख्य कार्यक्रम- 02 फरवरी को सिरपुर, इन्दौर में विश्व वेटलैण्ड्स दिवस के मुख्य कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य माननीय मंत्रीगण के साथ रामसर सचिवालय की महासचिव तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति हुए तथा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

   b. विश्व वेटलैण्ड्स दिवस के कार्यक्रमों की श्रंखला में सभी रामसर साइ्स पर -

गतिविधियाँ	भोज वेटलैंड, भोपाल	सिरपुर एवं यशवंत सागर इंदौर	साख्य सागर, शिवपुरी
● पक्षी दर्शन कार्यक्रम	22-23 दिसंबर, 2023 6-7 जनवरी, 2024	5-6 जनवरी 2024	22-23 दिसंबर, 2023 5-6 जनवरी, 2024
● वेटलैण्ड स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम	22-23 दिसंबर, 2023 6-7 जनवरी, 2024	5-6 जनवरी 2024	22-23 दिसंबर, 23 5-6 जनवरी, 2024
● वेटलैण्ड सिटी डायलॉग	18 जनवरी 2024	30 जनवरी 2024	23 जनवरी 2024
● वेटलैण्ड वॉक एवं टॉक कार्यक्रम	28 जनवरी 2024	-	-
● जनवरी एवं फरवरी 2024 के मध्य 600 से अधिक वेटलैण्ड्स मित्रों के साथ 05 ऑनलाइन कार्यशालाएं संपन्न की गयीं। जिसमें वेटलैण्ड मित्रों को स्थानीय स्तर पर सहभागिता करने हेतु प्रशिक्षित किया गया।			

8. विश्व वेटलैण्ड्स दिवस 2024 मनाने की श्रंखला में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के 'लोगो डिजाइन प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया जिसमें ज्यूरी समिति द्वारा प्रथम एवं द्वितीय प्रविष्टियों को पुरूस्कार प्रदान किया गया।

9. MoEFCC, भारत सरकार द्वारा भुवनेश्वर, उडीसा में "Conservation and Wise use of Wetland" विषय पर आधारित कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण एवं सहभागिता की।

10. विश्व जल दिवस 2024 के अवसर "Water For Peace" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

11. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, वन विहार एवं भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में भोज वेटलैण्ड विन्टर **बर्ड काउन्ट 2023-24** का आयोजन कर पक्षी गणना रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।

12. भारत सरकार, MoEFCC एवं GIZ,नई दिल्ली के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के चारों रामसर साइट के वेटलैंड्स प्रबंधन की कार्य नीति तैयार करने हेतु Communication, Capacity building, Education, Participation, and Awareness (CEPA), Management Effectiveness Tracking Tool (METT), IMP/FMP तैयार करने तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

13. खातियार गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत वेटलैण्ड को नवीन रामसर साइट Designate करने संबंधी संक्षिप्त प्रस्ताव भारत सरकार, MoEFCC को प्रेषित किया गया। विस्तृत वैज्ञानिक/तकनीकी प्रस्ताव (Ramsar Information Sheet) तैयार करने हेतु जानकारी संकलित की जा रही है। **संलग्न-6**

» **गतिविधियों का विवरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.4 VIP रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव के संबंध में तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा ।

– राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की 13.07.2023 को आयोजित तृतीय बैठक के कार्यवाही विवरण पर प्राधिकरण में मनोनीत सदस्यों क्रमश: श्री अभिलाष खाण्डेकर, श्री सौरभ पोपली एवं श्री श्रीनिवास मूर्ति द्वारा अतिरिक्त एजेंडा के रूप में शामिल किये गये एजेंडा क्र. 3.10 (II) म. प्र. सड़क विकास निगम द्वारा प्रेषित वीआईपी रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव पर बैठक में असहमति व्यक्त की गयी है। सम्मानित सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियां **संलग्न-7** प्रस्तुत है।

– मनोनीत सदस्यों द्वारा बैठक में उल्लेखित अपनी टिप्पणियों में मुख्य रूप से तृतीय बैठक के अतिरिक्त एजेण्डा क्र. 3.10(ii) वीआईपी रोड विस्तारीकरण प्रस्ताव पर ली गयी आपत्तियों को कार्यवाही विवरण में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है -

– वेटलैंड नियम 2017 अनुसार उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में सहमति/अनुमति जारी करने का अधिकार भारत सरकार, MoEFCC के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय वेटलैंड समिति को है। राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किया गया था, राज्य शासन पर्यावरण विभाग द्वारा सहमति/अनुमति संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रीय वेटलैंड समिति को प्रेषित किया गया, जिस पर MoEFCC द्वारा वेटलैंड नियम 2017 के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका की कंडिका-47 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार सम्बंधित जानकारी उपलब्ध नहीं होने का लेख किया है। इस प्रकरण में अंतिम निर्णय MoEFCC के सचिव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय वेटलैंड समिति द्वारा लिया जाना है।

– राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की तृतीय बैठक की अनुशंसा अनुसार प्रकरण पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया। राज्य शासन, पर्यावरण विभाग, पत्र दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार, MoEFCC को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है-

– MoEFCC के ईमेल दिनांक 01.05.24 के माध्यम से सूचित कया गया कि राज्य शासन से प्राप्त प्रकरण में वेटलैण्ड नियम 2017 की मार्गदर्शिका की कंडिका 47 में प्रदत्त जानकारी संलग्न नहीं है।

– मध्यप्रदेश सडक विकास निगम से जानकारी प्राप्त कर राज्य शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा पत्र दिनांक 05.06.2024 से पुन: भारत सरकार, MoEF&CC को प्रेषित किया गया।

» प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा 4.5 प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरणों एवं शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।

माननीय उच्चतम् न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय एनजीटी में विचाराधीन प्रकरण

– प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स, तालाबों से सम्बंधित वर्तमान में कुल **12** सक्रिय प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय **(01 प्रकरण),** माननीय उच्च न्यायालय **(03 प्रकरण)** एवं माननीय NGT, भोपाल **(08 प्रकरण)** में विचाराधीन हैं। प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

– प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्देशों के पालन में कार्यवाही संपन्न की जा रही है। समस्त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति का **संलग्न-8** पर है।

प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों / आवेदन / ज्ञापनों की अद्यतन स्थिति -

– भोज वेटलैंड भोपाल में वेटलैंड नियम 2017 के परिपालन संबंधी एवं अन्य वेटलैंडस से सम्बंधित लगभग विभिन्न विषयों पर तृतीय बैठक उपरांत कुल **41** अलग-अलग शिकायत/ज्ञापन/आवेदन जो विभिन्न एजेन्सियों, संगठनों एवं व्यक्ति विशेष से प्राप्त हुये, उन सभी प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी। जिसमें **31** शिकायतें भोज वेटलैण्ड, भोपाल से संबंधित हैं तथा **शेष 10** शिकायती आवदेन प्रदेश के अन्य तालाबों / वेटलैण्ड्स से संबंधित हैं। प्राप्त शिकायतों को समय-समय पर आयोजित शिकायत समिति की बैठक में भी प्रस्तुत किया गया है।

– शिकायत समिति के सुझाव अनुसार शिकायत से संबंधित विभागों / एजेन्सियों को बैठक में आमंत्रित कर शिकायतों का निवारण करने तथा वस्तुस्थिति प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु आज दिनांक तक संबंधित एजेन्सियों की ओर से प्रत्युत्तर / रिपोर्ट अपेक्षित है। समस्त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति **संलग्न-9** पर है। इस संबंध में सदस्य सचिव द्वारा आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया है। तकनीकी समिति के सुझाव अनुसार इस संबंध में प्रमुख सचिव पर्यावरण की और से प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग को पत्र प्रेषित किया जाना प्रक्रिया में है।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.6 सिरपुर वेटलैण्ड (रामसर साइट), इन्दौर के संरक्षण हेतु पंचवर्षीय एकीकृत प्रबंधन योजना को राज्य शासन के माध्यम से MoEFCC, भारत सरकार को प्रेषित करने का अनुमोदन।

– सिरपुर वेटलैंड एक रामसर साईट है, इसका निर्माण होल्कर वंश के शासकों द्वारा 18वीं सदी में विशेष रूप से इंदौर नगर की पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया था। सिरपुर वेटलैंड की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता के दृष्टिगत वर्ष 2022 में इसे रामसर सचिवालय, स्विजरलैण्ड द्वारा रामसर साईट का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका क्षेत्रफल 165 हैक्टेयरर है। वर्तमान में सिरपुर को पक्षी विहार एवं तितली विहार के रूप में नगर निगम, इन्दौर द्वारा विकसित किया जा रहा है।

– जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिरपुर वेटलैण्ड का पर्यावरणीय संरक्षण एवं प्रबंधन अति आवश्यक है, अत: सिरपुर वेटलैण्ड एकीकृत प्रबंधन योजना राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग एवं समन्वय में नगर निगम, इन्दौर द्वारा तैयार की गयी है। इस योजना की प्रस्तावित लागत 61.95 करोड है एवं योजना में 60% केन्द्र शासन एवं 40 प्रतिशत का वहन राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। योजना की 40% के वहन की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष मंत्रि परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रक्रिया में है।

– परियोजना के मुख्य अवयव एवं कुल लागत का सार संक्षेप निम्नानुसार है -

क्र.	**मुख्य अवयव (Components)**	**प्रस्तावित राशि (लाख में)**
1	Boundary Delineation & Demarcation	1037.13
2	Catchment conservation	706.08
3	Water Management	1714.41
4	Biodiversity Conservation	1399.77
5	Sustainable Resource Development & Livelihood Improvement	248.00
6	Institutional Arrangements	1090.31
	कुल परियोजना लागत	**6195.70**
A.	केन्द्रांश (60%)	3717.42
B.	राज्यांश (40 %)	**2478.28**

उपरोक्तानुसार राज्य शासन से 40 प्रतिशत राशि की वहन करने की सहमति प्राप्त होने के उपरांत परियोजना की वित्तीय सहायता हेतु MoEFCC भारत सरकार को भेजे जाने का प्रस्ताव है।

» **प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.7 नगर पालिका सिवनी स्थित दल सागर तालाब में फुटब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फाउन्टेन स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा।

- नगर पालिका सिवनी, स्थित दल सागर में फुट ब्रिज, मूर्ति स्थापना, म्यूजिकल फाउन्टेन, लाइट एण्ड साउण्ड शो आदि कार्यों को करने हेतु वेटलैण्ड नियम 2017 के पैरा 4 की शर्तों में छूट प्रदान प्रदान करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका सिवनी द्वारा फुट ब्रिज का लगभग 80 प्रतिशत निर्माण किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्राप्त प्रस्ताव **संलग्न-10** है।
- वर्तमान में दल सागर तालाब राज्य शासन द्वारा वेटलैंड नियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, और न ही रामसर साइट है, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के पालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने Office Memorandum दिनांक 08.03.2022 को जारी किया है, जिसमें वेटलैण्ड नियम, 2017 की धारा 4 में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों का पालन देश के वेटलैण्ड्स, जिनका क्षेत्रफल >2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है, पर लागू होंगे।
- प्रदेश में स्थित 2.25 हैक्टर क्षेत्रफल से अधिक के 15152 वेटलैंड्स चिन्हित है। दल सागर तालाब उन चिन्हित वेटलैंड्स में सम्मिलित है, जिसका क्षेत्रफल 18.31 हैक्टेयर है।
- भारत सरकार द्वारा जारी Office Memorandum अनुसार दल सागर तालाब, जिसका क्षेत्रफल 18.31 हैक्टर है, पर धारा 4 में उल्ल्लेखित प्रावधान लागू होंगे, जबकि जिला कलेक्टर सिवनी की अध्यक्षता में संपन्न जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त करने हेतु राज्य शासन / केन्द्र शासन को भेजने की अनुशंसा की गयी है। वेटलैण्ड नियम 2017 मे उल्लेखित प्रावधानों एवं धारा 4 को शिथिल करने की शक्तियां राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण एवं राज्य शासन को नही है।
- उपरोक्तानुसार वेटलैण्ड नियम 2017 के पैरा 4 की शर्तों में छूट प्रदान प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर तकनीकी समिति द्वारा चर्चा की गयी। चर्चा उपरांत सुझाव दिया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर सिवनी से प्राप्त जानकारी जिसमे यह उल्लेखित है कि प्रकरण अभी माननीय एनजीटी में विचाराधीन है, से शासन को अवगत किया जाये।

प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा 4.8 सिरपुर वेटलैण्ड रामसर साइट में तितली पार्क के विकास के संबंध में चर्चा।

- नगर निगम द्वारा सिरपुर वेटलैंड अंतर्गत छोटा तालाब स्थित उद्यान जो कि अतिक्रमण हटाने के उपरांत तैयार किया गया है, के समीप तालाब की पाल के अंतिम छोर पर तितली पार्क विकसित किये जाना प्रस्तावित है।
- उक्त पार्क निर्माण का उद्देश्य तितलियों के संबंध में शोध के माध्यम से जानकारी एकत्र कर शोधार्थियों को उपलब्ध कराने के साथ ही तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण भी करना है। नगर निगम इंदौर द्वारा उक्त तितली पार्क निर्माण को अस्थायी प्रकृति का उल्लेख करते हुये प्रस्तावित तितली पार्क के **अस्थायी निर्माण** कार्य किये जाने हेतु वेटलैंड नियम 2017 अनुसार अभिमत माँगा गया है।
- सिरपुर वेटलैंड, इंदौर रामसर साईट है, अतः वेटलैंड नियम 2017 लागू होते है। किन्तु यह वेटलैंड नियम अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, अतः अभी विनियमित (Regulated), अनुज्ञात (Permitted) अभी गतिविधियाँ चिन्हांकित होना है।
- नियम वेटलैंड नियम 4.2 अनुसार FTL से 50 मीटर की दूरी में स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। वेटलैंड नियम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका अनुसार शोध संबंधी गतिविधियां अनुज्ञात गतिविधियों में शामिल है। वेटलैंड नियम अनुसार प्राधिकरण को कोई अभिमत / अनापत्ति जारी करने संबंधी प्रावधान / शक्तियाँ नहीं दी गयी है।
- इस प्रकरण का तकनीकी समिति द्वारा अवलोकन एवं विस्तार से चर्चा की गयी। चर्चा उपरांत समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्णय लेने के पूर्व तितली पार्क के निर्माण से सम्बंधित सभी पर्यावरणीय अवयवों की विस्तृत जानकारी एवं अस्थाई निर्माण है तो उसकी समय सीमा आदि की जानकारी नगर निगम इंदौर से प्राप्त की जाना आवश्यक है।
- इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखा जाये कि निर्माण कार्य से तालाब की इकोलॉजी में कोई परिवर्तन न हो। साथ ही तितली पार्क में Natural Habitat विकसित किया जा सकता है एवं 50 मीटर की दूरी को छोड़कर निर्माण करने हेतु भी सुझाव दिया जा सकता है।

प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा 4.9 सिरपुर वेटलैण्ड रामसर साइट, इन्दौर की अधिसूचना हेतु संक्षिप्त प्रतिवेदन का अनुमोदन।

- वेटलैंड नियम 2017 अनुसार एवं वेटलैंड नियम क्रियावयन मार्गदर्शिका 2020 अनुसार प्रदेश के 04 रामसर साइट्स क्रमशः भोज वेटलैंड भोपाल, साख्य सागर शिवपुरी, सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को अधिसूचित किया जाना है।
- रामसर साइट्स के अतिरिक्त प्रदेश के 6 वेटलैंड्स जिनके संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु NPCA योजना अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय निवेश किया गया अथवा किया जा रहा है, इन सभी 6 वेटलैंड्स को वेटलैंड नियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया भी जारी है।
- वर्ष 2022 में इस वेटलैंड को रामसर साईट का दर्जा प्राप्त हुआ है। अतः वेटलैंड नियम 2017 लागू होते है। किन्तु यह वेटलैंड नियम अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, अतः अभी विनियमित (Regulated), अनुज्ञात (Permitted) गतिविधियाँ तथा Zone of Influnece (ZoI) चिन्हांकित नहीं है।
- सिरपुर वेटलैंड को वेटलैण्ड नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित करने हेतु नगर निगम, इन्दौर को नियमानुसार संक्षिप्त प्रतिवेदन ZoI के मानचित्र सहित तैयार कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित किया गया।
- उक्त दस्तावेज का तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार प्रतिवेदन में संशोधन (मानचित्रों में) कर नगर निगम इंदौर द्वारा पुन: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- तकनीक समिति द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन का पुन: अवलोकन कर समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन का अनुमोदन किया तथा राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गयी।
- तकनीकी समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिसूचना संबंधी प्रक्रिया हेतु भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों, जिनमे वेटलैंड नियमानुसार वेटलैंड अधिसूचित किये गये हो, उनसे प्रक्रिया एवं जनसुनवाई आदि के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

एजेण्डा 4.10 वेटलैण्ड नियम '4' के पालन हेतु भारत सरकार, MoEFCC द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम से अवगत करना

– वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 4 में वेटलैण्ड संरक्षण के संबंध में प्रतिबंधात्मक एवं निषेधात्मक गतिविधियों का उल्लेख है के संबंध में भारत शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 08 मार्च 2022 को ऑफिस मेमोरेण्डम जारी किया गया है। यह ऑफिस मेमोरेण्डम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर 2017 जो कि जनहित याचिका क्र. 230/2001 के संबंध में दिया गया था। वेटलैण्ड नियम 4 में प्रतिबंधित गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है –

– **वेटलैंड नियम 4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन -**

1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।
2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्ः-
   i. किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर- आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तनः
   ii. किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना,
   iii. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटानः परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;
   iv. ठोस अपशिष्ट का पाटन ;
   v. उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्त्रावों का निस्सारण;
   vi. किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और
   vii. अवैध शिकार

परन्तु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त आदेश में कहा है कि ऐसे सभी 201503 वेटलैण्ड जिनका भारत सरकार द्वारा प्रलेखन किया गया है तथा जिनका क्षेत्रफल National Wetland Inventory Assessment (NWIA) के अनुसार 2.25 हैक्टेयर से ज्यादा है को वेटलैण्ड नियम के नियम 4 के प्रावधान के अनुसार संरक्षित किया जाए। ऑफिस मेमोरेण्डम की प्रति **अनुलग्न – 11** पर संलग्न है।
- ऑफिस मेमोरेण्डम के पालन में राज्य वेटलैण्ड प्राधिरकण द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नगर पालिका एवं विभागाध्यक्षों को इस आदेश के संबंध में सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रकरण आधारित विषयों में भी संबंधित क्रियान्वयन संस्थाओं को इस आदेश की जानकारी दी जाती है।

» **कृपया प्रकरण राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 4.11 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।